उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2012/02(120)/XXVII(8)/12
दिनांक:: देहरादून :: 28 मई, 2012

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:–

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2)(ख) के खण्ड (i) के क्रमांक (आ) एवं (ई) पर विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नप्रकार संशोधित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

धारा 4 की उपधारा 2(ख) के खण्ड (i) के क्रमांक (आ) एवं (ई) पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेगी; अर्थात–

(आ)	अनुसूची– II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में	5 प्रतिशत
(ई)	किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में	13.5 प्रतिशत

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

सं0– 189 (1)/2012/02(120)/XXVII(8)/12 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
4– भाषा अनुभाग, उत्तरारखण्ड सचिवालय।
5– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

D:/New Vigyapti/ Regarding change of VAT rate of schedule II(B) and unspecified Goods

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 189 /2012/02(120)/XXVII(8)/ 12 dated 28 May, 2012 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 189 /2012/02(120)/XXVII(8)/12

Dehradun :: Dated: : 28 May, 2012

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following amendments in existing entries at serial no. (a) and (d) of clause (i) of sub-section (2)(b) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

Amendment

For the existing entries at serial number (a) and (d) of clause (i) of sub-section (2)(b) of section 4 the following entries shall be substituted; respectively:-

(b) In respect of goods specified in schedule II(B)	5 percent
(d) In respect of goods other than those included in any of the schedules	13.5 percent

(Radha Raturi)
Secretary.